न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 34/2015

1. मुख्तयारसिंह पुत्र सम्पूर्णसिंह
2. जगतारसिंह पुत्र सम्पूर्णसिंह
3. जसविन्द्रकौर पत्नी बलकरणसिंह

जाति जटसिख निवासीगण हाकमाबाद तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

4. रणदीपसिंह पुत्र बलकरणसिंह
5. गुरवन्तकौर पुत्री बलकरणसिंह

——अपीलांट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सादुलशहर। ——रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 223 राज.काश्त.अधि.1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी सादुलशहर

दिनांक 22.04.2015

उपस्थितिः—

श्री सुरेश अरोड़ा अभिभाषक अपीलांट.

श्री इकबालसिंह सिद्धु, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :— 07.11.2017**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण/अपीलार्थीगण ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष रा0का0अ0 की धारा 88, 91 के तहत पेश कर वादीगण को चक 1 बीएनडब्लू के मु.न. 42 के कि.न. 6, 7, 14 से 17 , 24, 25 की 8 बीघा भूमि का खातेदार घोषित करने एवं वादी सं. 1 व 2 को 1/3 हिस्से का एवं वादी सं. 3 से 5 को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित करने का निवेदन किया। प्रतिवादी स्टेट ने जबाव दावा पेश कर कथन

7.11.17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

किया कि राज्य हित को ध्यान में रखते हुए वादी का यदि कोई अनुतोष बनता है तो स्वीकार किया जावें।

सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनांक 22.04.2015 को वादीगण का वाद खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण/वादीगण ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने मुख्य रूप से अपील मीमों एवं वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया वादीगण ने अधी.न्यायालय में वाद पेश करने पर प्रतिवादी द्वारा जबाव दावा पेश किया गया जिसमें वादीगण के तथ्यों से इन्कार नहीं किया एवं प्रतिवादी द्वारा अपने पक्ष में कोई साक्ष्य पेश नहीं किये न ही प्रतिवादी द्वारा वादी के वाद में अंकित तथ्यों का खंडन नहीं किया। ऐसी स्थिति में वाद में अंकित तथ्यों को न मानने का कोई आधार नहीं था । वादीगण ने अपने वाद को साक्ष्य से साबित किया था फिर भी वाद खारिज कर दिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए वाद वादीगण स्वीकार किया जावें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया विवादित भूमि धार्मिक संस्था की होने के कारण अधी.न्यायालय ने उस पर वादीगण को खातेदार घोषित नहीं करने का जो आदेश दिया है उसमें कोई त्रुटि नहीं होने से अपील खारिज की जावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के निर्णय दिनांक 22.04.2015 के विरूद्ध पेश हुई है जिसमें अपीलांट द्वारा जरिये बेचान दस्तावेज से विवादित भूमि क्रय की जाकर खरीदशुदा भूमि पर घोषणात्मक दावे के मार्फत खातेदारी घोषित करने का अनुतोष अपीलांटस/वादीगण बनाम स्टेट जरिये तहसीलदार चाहा जो खातेदारी हस्तान्तरण को सही नहीं मानकर दावा खारिज किया है जो नियम विरूद्ध निर्णय होने से निरस्त करने का अनुतोष चाहा है।

7/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अधी.न्यायालय ने मु0न0 42 के रकबा के बेचान की स्वीकृति के आदेश का कोई दस्तावेज अपीलांट द्वारा पेश नहीं करने की वजह से दावा खारिज किया है जबकि अपीलांट ने फार्म नं0 3 के साथ जिलाधीश गंगानगर के आदेश कमांक एफ (12)(ा)(4)राजस्व 71/5092 दिनांक 08.06.1971 की छाया प्रति पेश की जिसका Text है कि कार्यालय जिलाधीश श्रीगंगानगर, कमांक एफ(12)(ा)(4)राजस्व/71/5092 दिनांक 08.06.1971, तहसीलदार राजस्व सादुलशहर, विषयः– राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत भूमि विकय करने की स्वीकृति, श्री गुलाम रसुल वल्द श्री मुरीदखॉ कौम राठ साकिन 1 बीएनडब्ल्यू तहसील सादुलशहर ने दिनांक (अपठित) की दरखास्त प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उन्हें भूमि विकय करने की स्वीकृति प्रदान की जावे। राज्य सरकार के आदेश एफ 3(ब)(18) राजस्व/कोलो/69 दिनांक 04.08.70 के अनुसार तथा प्रार्थी द्वारा भूमि विकय करने के कारणों को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी को निम्नलिखित भूमि को राजस्थान कोलोनाईजेशन एक्ट 1954 की धारा 13 के तहत विकय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थी का नाम गुलाम रसुल, चक 1 बीएनडब्ल्यू, मु. नं. 42 की 8 बीघा, हस्ताक्षर जिलाधीश गंगानगर, कमांक एफ 12(ा)(4)राजस्व/71 दिनांक , प्रतिलिपि प्रार्थी गुलाम रसुल पुत्र मुरीद खॉ जाति राठ निवासी 1 बीएनडब्ल्यू को सूचनार्थ प्रेषित है, हस्ताक्षर जिलाधीन श्रीगंगानगर। अतः अधी. न्यायालय द्वारा खारिजी का यह गलत आधार लिया है।

द्वितीय आधार में विवादित आराजी माफी मस्जिद की होना दर्शाया है जबकि अधी.न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध निर्णय अपील संख्या 116/82 निर्णय दिनांक 07.06.83 न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर द्वारा विवादित आराजी को आराजी माफी मस्जिद के बजाय मौलवी मस्जिद होकर उसकी खातेदारी मानी जाकर निर्णय पारित किया जो आज दिनांक तक अन्तिम निर्णय है। चूंकि दावे में प्रतिवादी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार सादुलशहर ने अपने जबाव दावा दिनांक 17.07.14 में राज्य हित को ध्यान में

7/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

रखते हुए वादी का अनुतोष बनता है तो स्वीकार किया जाये जबाव दावा, इकबाल दावा माना जाकर अधी.न्यायालय ने तनकियात कायम नहीं की जो सीपीसी के आदेश 23 नियम 3 की परिधि में निर्णय योग्य था, अधी.न्यायालय ने नहीं किया जिसका Bare reading है " Where the Court is satisfied,- (a) that a suit must fail be reason of some formal defect , or (b) that there are sufficient grounds for allowing the plaintiff to institute a fresh suit for the subject-matter of a suit or part of a claim, it may, on such terms as it thinks fit, grant the plaintiff permission to withdraw from such suit or such part of the claim with liberty to institute a fresh suit in respect of the subject-matter of such suit or such part of the claim." जो अधी0 न्यायालय द्वारा consent of parties अनुसार दावा डिक्री किया जाना था जो नहीं कर विधिक भूल की है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अपीलांटस् द्वारा विवादित आराजी जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामों के दस्तावेजों से खरीद की है जिसकी विधिवत स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी जिला कलक्टर गंगानगर द्वारा दी गई है तथा विवादित आराजी बेचानकर्ता की खातेदारी भूमि होने से उपपंजीयक द्वारा दस्तावेज का पंजीयन किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं अधी.न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.04.2015 निरस्त किया जाता है एवं वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर अपीलार्थीगण को विधिवत पंजीबद्ध दस्तावेज के मार्फत क्रय की गई कृषि भूमि चक 1 बीएनडब्ल्यू के मु.न. 42 के कि.न. 6, 7, 14 से 17, 24, 25 की 8 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ. 41 रूल 35, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'G'-9)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

इजलास श्री प्रेमा राम परमार, आर.ए.एस., राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगा

1. गुरुमार सिंह S/o सम्पूर्ण सिंह जाति .... बनाम राजस्थान सरकार जरिये T.D.R. ...
*2. जसविंद निवासी हाकमाबाद तह. सादुलशहर

अपील नं. 34 सन् 2015 व नाराजगी डिगरी अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सादुलशहर मुवर्ख 22 माह 04 2015

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 07 माह 11 सन् 2017 रूबरू मुझ हाजरी श्री सुरेश अरोड़ा Adv. मिनजानिब अपीलान्ट व श्री इकबाल सिंह सिद्धू राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है एवं अधी. न्याया. का निर्णय दिनांक 22.4.15 निरस्त किया जा एवं वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार कर डिक्री किया जा अपीलार्थीगण को विधिवत पंजीबद्ध दस्तावेज के माफित क्रय की गई भूमि चक 1 B.M.W. के मु.न. 42 के कि.न. 6, 7, 14 से 17, 24, 25 की 8 बीघा भूमि का स्व – घोषित किया जाता

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेर तादादी मुबलिग ....) रूपये .... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 07 माह 11 2017 को जारी किया गया।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर सत्यमेव जयते

मुहर

हस्ताक्षर
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)
ओहदा

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रुपये	पैसे	रेस्पोन्डेन्ट	रुपये	पैसे
1 स्टाम्प अपील			1 स्टाम्प वकालतनामा		
2 स्टाम्प वकालतनामा			2 स्टाम्प अर्जी		
3 इजराय हुक्मनामा			3 इजराय हुक्मनामा		
4 वकील फीस बाबत			4 मेहनताना वकील		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

P.T.O. 2.

अपीलार्ट

*2. जगतार सिंह S/o सम्पूर्ण सिंह
3. जसविन्द्र कौर W/o बलकरण सिंह
4. रणदीप सिंह S/o बलकरण सिंह
5. गुरवक्त कौर D/o बलकरण सिंह

जाति जटसिख निवासी ग्राम हाकमाबाद तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
सत्यमेव जयते
श्रीगंगानगर

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)